UPMB010023662022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) महोबा।

पीठासीन अधिकारीः–संतोष कुमार यादव, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06397

दाण्डिक अपील संख्या–38/2022

गया प्रसाद बाल अपचारी उम्र 13 वर्ष पुत्र श्री बिन्दादीन प्रजापति द्वारा प्राकृतिक संरक्षक पिता बिन्दादीन प्रजापति पुत्र श्री रामसनेही उम्र 45 वर्ष निवासी खन्ना, थाना–खन्ना, जनपद–महोबा, उ0प्र0। .....अपीलार्थी।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश। .....विपक्षी।

अपील अन्तर्गत धारा–101 किशोर न्याय अधिनियम एवं किशोर बाल संरक्षण अधिनियम–2015
मु0अ0सं0–159/2020
धारा–376 भा0दं0सं0
व धारा–5/6(ड़) पॉक्सो एक्ट,
थाना–खन्ना, जिला महोबा।

निर्णय

बाल अपचारी गया प्रसाद के विधिक संरक्षक पिता बिन्दादीन प्रजापति द्वारा यह दाण्डिक अपील किशोर न्याय बोर्ड, महोबा द्वारा मुकदमा नम्बर–01/2021 राज्य बनाम गयाप्रसाद मु0अ0सं0 159/2020 अन्तर्गत धारा–376 भा0दं0सं0 व धारा–5/6(ड़) पॉक्सो एक्ट थाना खन्ना में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 27.09.2022 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में आधार अपील में कथन अपीलाकर्ता इस प्रकार से है कि अपीलाकर्ता बाल अपचारी उपरोक्त का पिता है व उसका प्राकृतिक संरक्षक है। बाल अपचारी की उम्र घटना के समय 11 वर्ष 09 माह 08 दिन निर्धारित की गयी है, जो किशोर न्याय बोर्ड में उसे बाल अपचारी घोषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाल अपचारी की उम्र का कोई विचार न कर न ही उम्र का कोई उल्लेख किया है। जबकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–83 के अन्तर्गत 12 वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कृत्य नासमझ होने से अपराध में नहीं आता है। पीड़ित की उम्र भी 09 वर्ष कथित है और बाल अपचारी सहित अन्य बच्चों के साथ लुका छिपी का खेल खेलना पत्रावली में उपलब्ध है और दोनों ही नासमझ है और उन्हें कोई अपने कृत्य का ज्ञान नहीं है। कथित घ ाटना रूपया के लेन–देन की वजह से बुरायीवश पीड़िता की मॉ ने व मछली

Digitally signed by Santosh Kumar Yadav
Date: 2022.10.15 16:44:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मारने में तालाब में कहासुनी रखवाली करने वाले से हो जाने से उसके कहने पर व अपना पैसा न देने की वजह से वादिया मुकदमा ने गलत व झूंठा फंसा दिया है, क्योंकि पीड़िता की उम्र को देखते हुये कोई उसके चरित्र पर असर नहीं पड़ना था, इसलिये झूंठा फंसा दिया है तथा शासन से पैसा लेने की गरज से भी बलात्कार जैसे कृत्य का उल्लेख कर दिया गया है, जबकि कोई बलात्कार हुआ ही नहीं है, न ही बच्चे बलात्कार के योग्य थे और डॉक्टर ने भी बलात्कार होना या खून निकलना या कोई बाहरी गुप्तांग में चोट होना नहीं पाया। इन पर कोई विचार न कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय दिया है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य में कोई भी चक्षुदर्शी गवाह नहीं है, न ही ले जाते या बच्चों के खेलते समय अन्य बच्चों के नाम पत्रावली में आने के बावजूद गवाही में पेश नहीं किया गया है जिससे भी मामला संदिग्ध लगता है तथा केस की साक्ष्य में बहुत ही विरोधाभाषी व बनावटी बयान है। पीड़िता को सिखाकर बच्चे की गवाही करायी गयी है जो अविश्वसनीय है व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उसके विपरीत है। बाल अपचारी 12 दिसम्बर 2020 से निरूद्ध है और अपने परिवार से अलग होने से उसको बहुत ही मानसिक कष्ट व बैचेनी है। निर्णय के समय तक 01 साल 09 माह पूरे कर चुका है तथा उसका मानसिक सन्तुलन अन्य बच्चों के साथ जो उससे उम्र में बड़े हैं, रहने से प्रभावित हो रहा है, जो उसके भविष्य के लिये खतरनाक है। अधीनस्थ न्यायालय ने जे0जे0 एक्ट 2006 व मौजूदा 2015 में दिये गये प्राविधान क्रमशः धारा–15 व 18 पर भी विचार नहीं किया और उसे पिता की संरक्षिता में उन्मुक्त करने का आदेश न कर निराधार तरीके से बिना किसी प्रोबेशन अधिकारी अथवा मनोचिकित्सक की राय बाल अपचारी की समझ व परिवार के वातावरण के सम्बन्ध में नहीं दिया गया है जो कि जे0जे0 एक्ट के प्राविधानों के सर्वथा विपरीत है और अपीलाकर्ता को न्याय नहीं मिल सका है उसका बच्चा 01 वर्ष 09 माह से संरक्षक कृह कर्बी में अवरूद्ध है और उसकी मॉ की हालत बच्चे के बिना दिन–प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। वह बहुत ही कष्ट में है व मानसिक तनाव महसूस कर रही है। बाल अपचारी को छोड़े जाने पर अपीलाकर्ता उसकी सही परवरिश व उसकी पढ़ाई–लिखायी व आपराधिक कृत्यों से दूर रखेगा जबकि परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपराधी किस्म का हो। अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपील स्वीकार करते हुये प्रार्थी/अपीलकर्ता के बाल अपचारी को दोषमुक्त करने की कृपा की जावे। इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर अपचारी द्वारा अपील स्वीकार कर दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

3. अपीलार्थी की ओर से सूची 6ख से कागज संख्या–7ख/1 ता 7ख/10 किशोर न्याय बोर्ड, महोबा द्वारा पारित निर्णय दिनांकितः 27.09.2022 की प्रतिलिपि दाखिल की गयी है।

4. अपील की नोटिस विपक्षी को भेजी गयी जिस पर विपक्षी राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) उपस्थित हुए और बहस की गयी।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा विद्वान किशोर न्याय बोर्ड महोबा द्वारा पारित निर्णय दिनांकितः 27.09.2022 तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील के आधारों के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हुए अपील स्वीकार किये जाने की याचना की गयी। जबाव में विपक्षी राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा कहा गया कि विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, महोबा द्वारा पारित आदेश सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जाये।

7. संक्षेप में कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट इस प्रकार है कि वादिया मुकदमा अफसाना पत्नी श्री रईश अहमद ग्राम खन्ना, थाना–खन्ना, जिला महोबा की मूल निवासी है। दिनांक 11.12.2020 को उसकी बेटी पीड़िता उम्र करीब 09 वर्ष अपने पड़ोस में अपने छोटे भाई तौहीद के साथ खेल रही थी तभी गांव का ही गया प्रसाद पुत्र बिन्दादीन उसकी लड़की को जबरदस्ती अपने खण्डहरनुमा मकान के कमरे में ले जाकर बलात्कार (बुरा काम) किया है। उसका छोटा लड़का तौहीद घर आकर बताया कि दीदी को एक लड़का पकड़ ले गया है। अपने लड़की की बात सुनकर वह अपने पति रईश अहमद के साथ लड़की को खोजने गयी तो लड़के के बताने के अनुसार खण्डहरनुमा मकान के कमरे का दरवाजा ठेलकर अन्दर गयी तो देखा कि उसकी लड़की नंगी जमीन पर पड़ी थी और उसके ऊपर गया प्रसाद नंगा बैठा था। उन लोगों को देखकर गया प्रसाद पैन्ट हाथ में लेकर भाग गया। उसकी लड़की के गुप्तांग से खून बह रहा है। घटना लगभग 4.00 बजे शाम की है। इस प्रकार वादिया मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना खन्ना में मु0अ0सं0 159/2020 धारा–376 भा0दं0सं0 व धारा–4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत बाल अपचारी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी तथा विवेचना के पश्चात् अपचारी के विरूद्ध आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड महोबा में प्रस्तुत किया गया तथा अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड महोबा द्वारा दिनांक 03.02.2021 को किशोर घोषित किया गया।

8. उल्लेखनीय है कि अवर न्यायालय द्वारा दौरान विचारण अपचारी को विचारण के लिये आहूत किया गया। अपचारी के उपस्थित आने पर अपचारी को दिनांक 17.03.2021 को अभियोजन का सारांश बताया गया एवं अंकित किया गया। अपचारी द्वारा विचारण चाहे जाने पर अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी0डब्लू0–1 वादिया मुकदमा अफसाना, पी0डब्लू0–2 पीड़िता,

पी0डब्लू0–3 रईश, पी0डब्लू0–4 डॉ0 अमृता सिंह, पी0डब्लू0–5 विवेचक शिवआसरे एवं पी0डब्लू0–6 हेड कां0 प्रमोद कुमार को परीक्षित कराया गया। अपचारी का बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया जिसमें अपचारी ने घटना को गलत बताते हुये साक्षीगण द्वारा गलत बयान दिये जाने का कथन किया है। अवर न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनने के पश्चात् पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत निर्णय दिनांकितः 27.09.2022 द्वारा अपीलार्थी/अपचारी को धारा–376 भा0दं0सं0 व धारा–5/6(ड़) पॉक्सो एक्ट के अधीन दोषसिद्ध करते हुये 03 वर्ष हेतु विशेष गृह कारावास से दण्डित किया गया है जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

9. अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्षी पी0डब्लू0–1 वादिया मुकदमा के मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करने से स्पष्ट हो रहा है कि इस साक्षी ने अपने सशपथ–बयान में घटना का पूर्णतया समर्थन किया है तथा अपनी प्रति–परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना लगभग 9–10 माह पूर्व की है। उसकी लड़की उस समय 09–10 वर्ष की थी। घटना समय 04.00 बजे शाम की थी। घटनास्थल जंगल टाईप का स्थल है, वहॉ पर पास में किसी के मकान नहीं बने हैं। उसकी लड़की 4.00 बजे के आस–पास घटनास्थल पर गयी थी गया प्रसाद उसकी लड़की को दरवाजे के बाहर खेलते समय लुवा ले गया था। उसके छोटे लड़के तौहीद भी साथ था। जब वह घटनास्थल पर पहुॅची थी तब गया प्रसाद उसकी लड़की के ऊपर लेटा था। उसके पति ने प्रार्थना–पत्र टाईप कराकर थाने पर दिया था जिसके आधार पर रिपोर्ट लिखी गयी थी। रिपोर्ट की थी। साक्षी पी0डब्लू0–1 ने अपनी प्रति–परीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि गयाप्रसाद उसकी बच्ची के ऊपर नंगा लेटा था, गलत काम कर रहा था, बैठा नहीं था। अगर बैठने वाली बात तहरीर व बयान में लिखी हो तो वह उसकी वजह नहीं बता सकती। उसने गया प्रसाद को मौके पर पकड़ा नहीं था, पैन्ट लेकर मौके से भाग गया था। उसकी लड़की के चिल्लाने पर मुहल्ले का कोई नहीं आया था। जब वह घटनास्थल पर पहुॅच गयी थी तब भी उसके पड़ोस का कोई नहीं आया था। घटनास्थल एक खण्डहरनुमा स्थान है। साक्षी पी0डब्लू0–1 वादिया मुकदमा ने तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में अपने साक्ष्य से साबित किया है। इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–1 वादिया मुकदमा ने अपने बयानों में घटना का पूर्णतया समर्थन किया है। इस साक्षी के साक्ष्य में कोई विरोधाभाष परिलक्षित नहीं होता है।

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–2 पीड़िता ने अपने सशपथ बयान में घटना/अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन किया है तथा यह कथन किया है कि वह व उसका छोटा भाई तौहीद घर के बाहर खेल रहे

थे तब गयाप्रसाद आया और बोला चलो तुम्हारी बकरी के लिये पत्ता तुड़वा दें, उसने जाने से मना किया तो बहला–फुसलाकर एक जंगल की तरफ ले गया जिसमें एक टूटा हुआ घर था। **गया प्रसाद ने उसके भाई को मारपीट कर भगा दिया फिर उसे जबरदस्ती जंगल की तरफ ले गया फिर उसके पकड़े उतार दिया एवं अपने कपड़े उतार दिया और उसके साथ गलत काम किया**। उसका मुॅह दबाया हुआ था तो वह चिल्ला भी नहीं पा रही थी। उसके बाद जब उसकी मम्मी आयी तो वह उसे छोड़कर भाग गया। **उसके शरीर से खून भी निकल रहा था।** इसके बाद उसकी मम्मी उसे घर लेकर गयी उसके बाद उसकी मम्मी उसे थाने लेकर गयी। अस्पताल में उसकी डॉक्टरी हुयी थी। साक्षी पी0डब्लू0–2 पीड़िता ने अपने साक्ष्य में अपने बयान धारा–161 दं0प्र0सं0 व धारा–164 दं0प्र0सं0 को क्रमशः प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 के रूप में अपने साक्ष्य से साबित किया है। साक्षी पी0डब्लू0–2 पीड़िता ने प्रति–परीक्षा में कथन किया है कि वह गयाप्रसाद को जानती है। वह इस समय कक्षा–4 में पढ़ रही है। वह तारीख, महीना व दिन नहीं जानती है। घटना की तारीख नहीं बता सकती है। **घटना शाम की थी, परन्तु समय नहीं बता सकती। वह घटना के समय 09 साल की थी।** जो लड़का उनके साथ खेल रहा था उसका नाम गया प्रसाद था। उसका भाई और उसके भाई के दोस्त अजबल व आदित्य भी उनके साथ खेल रहे थे। वह लोग लुका–छिपी का खेल खेल रहे थे और लुका छिपी में ही उसके साथ घटना हो गयी थी। घटना के बाद उसकी मम्मी आयी थी और गांव का मुहल्ले का कोई नहीं आया था। **घटना के समय अजबल व आदित्य पास में नहीं थे। ये लोग दूसरी जगह छिपे थे, ढूढ़ गयाप्रसाद रहा था।** जब उसकी मम्मी आयी तब वह मम्मी के साथ थाने गयी थी तब उसके पापा ने रिपोर्ट लिखायी थी। उसके साथ जो हुआ था वह वही बयान दे रही है, जो उसके पापा ने रिपोर्ट लिखायी थी उसी मुकदमें में गवाही दे रही है। घटना को लगभग एक साल हो गया है। घटना के दूसरे दिन उसका पुलिस मैडम ने बयान लिया था और डॉक्टर ने भी उसका दूसरे दिन बयान लिया था। और कोर्ट में भी घटना के एक दिन बाद उसका बयान हुआ था। घटनास्थल पर अगल–बगल किसी के मकान नहीं हैं, वहॉ पर जंगल है और जंगल में ही वह लोग लुका–छिपी का खेल खेल रहे थे। **जब उसके साथ घटना हो रही थी तब घटना करते समय किसी ने नहीं देखा था। यह कहना गलत है कि गयाप्रसाद ने उसके साथ कोई गलत काम न किया हो।** इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–2 पीड़िता के उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपचारी द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ उसके कपड़े उतारकर बलात्कार किया गया है।

11. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–3 पीड़िता के पिता रईश ने अपने सशपथ बयान में घटना/अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन

किया है तथा साक्षी पी0डब्लू0–3 ने प्रति–परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 11.12.2020 समय करीब 04.00 बजे शाम की है। घटनास्थल खण्डहर का है। वह बिन्दादीन व गयाप्रसाद को जानता है। घटनास्थल पर कोई मकान नहीं बने हैं। घटनास्थल पर वह 4.00 बजे पहुॅच गया था। उसकी पुत्री व उसके लड़का दरवजो के बाहर खेल रहे थे, कौन–सा खेल खेल रहे थे वह नहीं बता सकता है। नाबालिग बच्चे हर तरह का खेल खेलते रहते हैं। **उसका लड़का तौहीद भी उसकी बच्ची के साथ में था। जब वह पहुॅचा तो गयाप्रसाद उसकी बच्ची के ऊपर नंगा लेटा था। उसने गयाप्रसाद को पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वह भाग गया था।** वह अपनी लड़की को लेकर थाने गया था। उसने रिपोर्ट का प्रार्थना–पत्र टाईप कराया था, उसने उसमें हस्ताक्षर नहीं किये थे, पत्नी ने किये थे। उसने जो टाईप कराकर प्रार्थना–पत्र थाने में दिया था उसी पर बयान दे रहा है। **उसे लड़की ने ही बताया था कि उसे गयाप्रसाद लेकर आया था और उसके साथ गलत काम किया था।** इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–3 ने अपने बयानों में घटना का पूर्णतया समर्थन किया है। इस साक्षी के साक्ष्य में कोई विरोधाभाष परिलक्षित नहीं होता है।

12. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–4 डॉ0 अमृता सिंह ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 12.12.2020 को समय 10.00 बजे सुबह जिला चिकित्सालय में तैनात थी। उस समय उसके द्वारा कु0 पीड़िता पुत्री रईश का चिकित्सीय परीक्षण किया था। पीड़िता पूरे होशो–हवाश में थी। घटना के सम्बन्ध में पीड़िता ने बताया कि वह दिनांक 11.12.2020 को शाम 5.00 बजे घर के बाहर खेल रही थी तभी गयाप्रसाद आया, उसका हाथ पकड़कर अपने अहाते में जबरन ले गया और जबरन बलात्कार किया। पीड़िता ने मारपीट से इंकार किया, परन्तु गयाप्रसाद के द्वारा उसे डराया–धमकाया गया। पीड़िता ने वेजाइनल पेनिट्रेशन होना बताया। परीक्षण के समय वह घटना के कपड़े पहने हुयी थी। घटना एक दिन पुरानी थी। यह उसका पहला डॉक्टरी परीक्षण था। Libia minora तथा Lourchette & introitus कन्जस्टेड रेड कलर की थी तथा हाइमन पार्शियल रैपचर्ड था। साक्षी पी0डब्लू0–4 ने पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है तथा पत्रावली में दाखिल पीड़िता के चिकित्सीय आयु निर्धारण प्रपत्र पर मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुये उसे प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है तथा यह भी कथन किया है कि उक्त प्रपत्र में पीड़िता की उम्र 09 वर्ष आंकी गयी है तथा साक्षी पी0डब्लू0–4 ने अपनी प्रति–परीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि पीड़िता के गुप्तांग मं सूजन थी तथा लालिमा लिये हुये था। चोट एक दिन पुरानी थी। पीड़िता की चोट को देखकर सैक्सुअल वॉयलेन्स की पुष्टि होती है।

13. साक्षी पी0डब्लू0–5 उपनिरीक्षक शिवआसरे ने अपने बयानो में प्रस्तुत मामले की विवेचना स्वयं द्वारा किया जाना तथा नक्शा नजरी व आरोप पत्र को क्रमशः प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 के रूप में स्वयं तैयार किया जाना व हस्ताक्षरित करना साबित किया है। इसी प्रकार से साक्षी पी0डब्लू–6 हे0कां0 प्रमोद कुमार द्विवेदी ने अपने बयानों में वर्तमान वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर थाना प्रभारी श्री शिवआसरे के हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुये उसे प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया है तथा मुकदमें की कायमी जी0डी0 को अपने द्वारा तैयार किये जाने की पुष्टि करते हुये उसे प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया है। अभियोजन साक्षीगण पी0डब्लू0–5 व पी0डब्लू0–6 औपचारिक साक्षी हैं जिन्होंने पुलिस प्रपत्रों को अपने साक्ष्य से साबित किया है तथा अपने मुख्य–बयान व प्रति–परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा–83 में यह प्राविधान किया गया है किः– सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्यः– ''कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुयी है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके।''

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम–2015 की धारा–15 में यह प्रावधान दिया गया है किः– (1) किसी ऐसे बालक द्वारा किए गए जघन्य अपराध की दशा में, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या सोलह वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड, ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और उन परिस्थितियों को, जिनमें उसने अपराध किया था, के बारे में प्रारम्भिक निर्धारण करेगा और धारा–18 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा। परन्तु ऐसे निर्धारण के लिए बोर्ड, अनुभवी मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा। **स्पष्टीकरणः–** इस धारा के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्टीकृत किया जाता है कि प्रारंभिक निर्धारण विचारण नहीं है, लेकिन ऐसे बालक के अभिकथित अपराध को कारित करने की क्षमता तथा परिणामों को समझने का निर्धारण करना है।

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम–2015 की धारा–18 में यह प्रावधान दिया गया है किः– विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में आदेशः– (1) जहॉ बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि बालक ने, आयु को विचार में लाए बिना कोई छोटा अपराध या कोई घोर अपराध किया है, या सोलह वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट

किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुये भी और अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण या मध्यक्षेप की विशिष्ट आवश्यकता ऐसी परिस्थितियों, जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बतायी गयी है और बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड आदि ऐसा करना ठीक समझता है।

13. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विश्लेषण के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि किशोर अपचारी गया प्रसाद द्वारा घटना दिनांक 11.12.2020 को पीड़िता के कपड़े उतारकर व अपने कपड़े उतारकर पीड़िता के ऊपर लेटकर बलात्कार किया गया था जिसकी सम्पुष्टि पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–4 से भी होती है जिसमें चिकित्सक द्वारा पीड़िता के Libia minora तथा Lourchette & introitus कन्जस्टेड रेड कलर के पाये गये तथा हाइमन पार्शियल रैपचर्ड पाया गया था और साक्षी पी0डब्लू0–4 डॉ0 अमृता सिंह द्वारा अपने बयानों में भी यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि पीड़िता के गुप्तांग मं सूजन थी तथा लालिमा लिये हुये था। चोट एक दिन पुरानी थी। पीड़िता की चोट को देखकर सैक्सुअल वॉयलेन्स की पुष्टि होती है। तथ्य साक्षीगण के साक्ष्य में यद्यपि कुछ विरोधाभाष प्रकट हो रहा है परन्तु वह ऐसा विरोधाभाष नहीं है जो अभियोजन कथानक को प्रभावित करते हों, किन्तु विद्वान न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड, महोबा द्वारा किशोर अपचारी की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता जानने के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की सहायता नहीं ली गयी है और न ही इस प्रकार का कोई साक्ष्य ही पत्रावली पर उपलब्ध है। जबकि घटना दिनांक 11.12.2020 को पीड़िता की उम्र करीब 09 वर्ष थी और किशोर अपचारी गया प्रसाद की उम्र 11 वर्ष 09 माह 08 दिन थी, जो कि 12 वर्ष से कम आयु का था। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि पीड़िता, पीड़िता का भाई एवं अन्य बच्चे तथा किशोर अपचारी एक साथ लुका–छिपी का खेल खेल रहे थे और इसी दौरान किशोर अपचारी द्वारा पीड़िता के साथ घटना कारित की गयी है जिससे यह स्पष्ट होता है कि किशोर अपचारी की मानसिक और शारीरिक क्षमता अपराध के परिणामों को समझने योग्य नहीं थी जैसा कि किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम–2015 की धारा–15 में प्राविधानित किया गया है। इस प्रकार न्यायालय उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में कोई ऐसी तथ्यात्मक विसंगति एवम् विरोधाभाष नहीं है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय तथ्य एवम् विधि पर आधारित है।

13. अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या–01/2021 में अपीलार्थी/बाल अपचारी गयाप्रसाद के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की

धारा–376 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा–5/6(ड़) के सम्बन्ध में पारित दोषसिद्धि के निर्णय दिनांकितः 27.09.2022 को पुष्ट करते हुए मामले की प्रकृति तथा अन्य तथ्य एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुये बाल अपचारी गयाप्रसाद को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास से एवं मुब. 3,000/–रूपये (तीन हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलार्थी/बाल अपचारी की दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा बाल अपचारी गयाप्रसाद के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–376 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा–5/6(ड़) के अधीन आरोपों में पारित दोषसिद्धि के निर्णय दिनांकितः 27.09.2022 को कायम रखते हुए उपरोक्त धाराओं में दिये गये कारावास के दण्डादेश के स्थान पर बाल अपचारी गयाप्रसाद को उसके द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास से एवं मुब. 3,000/–रूपये (तीन हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर बाल अपचारी गयाप्रसाद 15 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतेगा। इस आदेश के अनुपालन हेतु इस निर्णय की एक प्रति के साथ मूल अभिलेख अवर न्यायालय अविलम्ब भेजा जाये।

दिनांकः 15.10.2022

(संतोष कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(पाक्सो अधिनियम), महोबा।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 15.10.2022

(संतोष कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(पाक्सो अधिनियम), महोबा।